



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड) (RAILWAY BOARD)

Office Order No. 04 of 2025

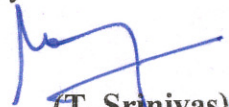
Sub: Transfer of Subject from CE-I to CE-II branch of Civil Engineering Directorate.

It has been decided to transfer subjects from the subject list of CE-I to CE-II branch of Civil Engineering Directorate.

2. Accordingly, the subject lists of CE-I branch and CE-II branch have been revised as per following and enclosed as **Annex-I and II:-**

Name of the Branch	Item No. of the subject list	Revised/added as
CE-I	3	Safety and other Engineering devices for Gang strength formula
CE-II	22	Safety and other Engineering devices: I. Matters relating to Trackmen facilities, II. Matter pertaining to Gangman facilities, III. Working conditions of Trackmen.

3. The above issues with the approval of the competent authority.


(T. Srinivas)

No. 2025/O&M/7/1
Dated: 08.01.2025

Joint Secretary/Railway Board
Tele No. 011- 47845551
Email: t.srinivas1@gov.in

All Officers and Branches in Board's Office, Office at COMFOW Building and Daya Basti, New Delhi.

Copy to:

EDPG/MR, EDPG/MoSR(R), JDPG/MoSR(S)

Member/Infra, AM/CE, EDCE/G

CIVIL ENGINEERING DIRECTORATE**CE-I**

1. Sidings

- | | | |
|------|-------------------------------|---|
| i) | Private sidings | During construction stage |
| ii) | Assisted siding | only. Pre construction and |
| iii) | Defence siding/Military Works | Post-commissioning stages to be dealt by TC/FM Directorate. |

2. I.R. Works Manual:

- i) Policy regarding reprinting and distribution.
- ii) Co-ordination of correction slips.

3. Safety and other Engineering devices for Gang Strength Formula.
(Revised vide O.O. No. 04 of 2025)

4. General conditions of contracts and allied matters pertaining to works contracts:

- i) Contract Policy and matters relating to contracts & its management/implementation/clarification.
- ii) Engineering Code.
- iii) General Conditions of Contracts (GCC)
- iv) Arbitration policy and related matters including Arbitration Tribunal.
- v) Black-listing, Suspension or removal of contractors relating to Civil Engg.
- vi) Standardisation of forms – Engineering series.

5. All matters relating to Seminars/Conferences and Training etc.

- i) Civil Engineering Training Institutes.
- ii) Man-Power Planning & Human Resources Development.

iii) IRSE Probationers.

6. All matters relating to Works Manual.
7. Works Programme – Nodal Officer for Indian Railways: Coordination with Zonal Railways, Production Units etc. and all Directorates in Railway Board, Meetings & Finalisation for Budget Documents.
8. Soft processing of Works Programme and management/monitoring of sanctioned works through web-based software – 'IRPSM' (Indian Railways Projects Sanctions & Management)
9. Indian Railways Unified 'Standard Schedule of Rates' & 'Standard Specifications' for 'Works & Materials' and 'P.Way Items' : Formation, Standardisation, Approvals & Follow-ups.
10. Inspection Manuals, Compendium of Instructions.
11. Co-ordination with Establishment Directorate regarding Gazetted and Non-Gazetted Cadres of Civil Engineering Department.
12. Central Advisory Contract Labour Board Meeting.
13. Civil Defence and related matters.
14. Miscellaneous work.
15. *Administrative Convenience of Commission of Railway Safety involving Office Maintenance etc. (added vide O.O. No. 37 of 2018)*

Note:- Item 3(v) transferred to LM(L)-I and Item 3(vi) deleted.

C.E.-II

1. Track Renewal Works – Policy matters and sanction of abstract/revised estimates and completion of reports.
2. Scrutiny of out-of-turn track renewal works, etc.
3. Scrutiny of new track renewal proposals costing Rs. 50 lakhs and above each and to communicate Board's approval thereto for inclusion in the PWP/FWP of the Railways. Preparation of consolidated Memo of all new track renewal works costing Rs.50 lakhs and above for MR's approval.
4. Railway Accident Committee's recommendations connected with track.
5. CCRS's/CRS recommendations on accidents due to failure of track.
6. Policy matters relating to running of high speed trains connected with track.
7. Principal Chief Engineers Conference; coordinating information for holding Chief Track Engineer's/Principal Chief Engineer's Meeting for assessment of requirements of P.Way materials.
8. Policy decisions regarding progress of speed restrictions.
9. Preparation of paras for Railway Board's Audit Report regarding items connected with track renewals and speed restrictions and ballasting of track.
10. Scrutiny and obtaining Board's orders of Track Standard Committee's Reports/Recommendations.
11. Accidents on P.Way account – Preparation of Accident Statement every month on account of P.Way account.
12. Ballasting Policy and specifications. Progress of ballasting and statements regarding deep screening, soil formation and collection and training out of ballast.
13. Supply of Tools to watchmen.
14. Track Formation – All technical matters and proposals under Planhead - 31.
15. Ballastless Track – All proposals under Planhead – 31 except technical matters.
16. Nodal Directorate to deal with International Heavy Haul Association (IHHA).
17. Issues related to running of trains at a speed of more than 130KMPH and upto 160 KMPH.
18. **Regular Rag picking from Railway Track and adjoining land beyond Station area (50 m from end of farthest platform)(OO 36 of 2019)**
19. **Issues related to execution of Semi-High Speed Corridors; New-Delhi Mumbai and New Delhi-Howrah.(OO No.66 of 2019).**

20. Parliament Questions on above, killing of railway workers while working on railway tracks, speed restrictions, permissible axle load of tracks and wagons, permissible operating speed of trains.
21. Interface at Board's level regarding IT enablement of Civil Engineering Directorate. (**Vide OO No. 89 of 2019**)
22. Safety and other Engineering devices: (**Revised vide O.O. No. 04 of 2025**)
- i) Matters relating to Trackmen facilities.
 - ii) Matters pertaining to Gangman facilities.
 - iii) Working conditions of Trackmen.

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD

2025 का कार्यालय आदेश सं. 04

विषय: सिविल इंजीनियरी निदेशालय की सिविल इंजीनियरी-I से सिविल इंजीनियरी-II
शाखा में विषय का स्थानांतरण।

सिविल इंजीनियरी निदेशालय की सिविल इंजीनियरी-I शाखा की विषय सूची से विषयों को सिविल इंजीनियरी-II शाखा में स्थानांतरित करने का विनिश्चय किया गया है।

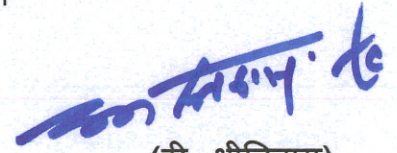
2. तदनुसार, सिविल इंजीनियरी-I शाखा और सिविल इंजीनियरी-II शाखा की विषय सूची को निम्नानुसार संशोधित किया गया है तथा अनुलग्नक-I और II के रूप में संलग्न है: -

शाखा का नाम	विषय सूची की मद संख्या	के रूप में संशोधित/जोड़ा गया
सिविल इंजीनियरी-I	3	गैंग संख्या फॉर्मूला हेतु संरक्षा और अन्य इंजीनियरी उपकरण
सिविल इंजीनियरी-II	22	संरक्षा और अन्य इंजीनियरी उपकरण: I. ट्रैकमैन सुविधाओं से संबंधित मामले II. गैंगमैन सुविधाओं से संबंधित मामले III. ट्रैकमैन की कार्य स्थितियां

3. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

सं.2025/ओएंडएम/7/1

दिनांक: 08.01.2025



(टी. श्रीनिवास)

संयुक्त सचिव/रेलवे बोर्ड

टेलीफोन नं. 011-47845551

ईमेल आईडी: t.srinivas1@gov.in

बोर्ड कार्यालय, कॉफमो और दयाबस्ती, नई दिल्ली के सभी अधिकारी और शाखाएं।

प्रतिलिपि प्रेषित:

कार्यपालक निदेशक जन शिकायत/रेल मंत्री, कार्यपालक निदेशक जन शिकायत/रेल राज्यमंत्री (आर), संयुक्त निदेशक जन शिकायत/रेल राज्यमंत्री/(एस)
सदस्य/अवसंरचना, अपर सदस्य/सिविल इंजीनियरी, कार्यपालक निदेशक सिविल इंजीनियरी/जी

सिविल इंजीनियरी निदेशालय

सिविल इंजीनियरी-I

1. साइडिंग

i) निजी साइडिंग	केवल निर्माण के चरण के दौरान ही,
ii) सहायता प्राप्त साइडिंग चरणों	निर्माण से पहले के और चालू करने के बाद के
iii) रक्षा साइडिंग/सैन्य निर्माण कार्य	पर यातायात वाणिज्य/मालभाड़ा विपणन शाखा द्वारा कार्रवाई की जाएगी,
2. भारतीय रेल निर्माण नियमावली :
 - i) पुनर्मुद्रण और वितरण से संबंधित नीति
 - ii) शुद्धि-परिचयों का समन्वय
3. गैंग संख्या फॉर्मूला हेतु संरक्षा और अन्य इंजीनियरी उपकरण. (2025 के संशोधित कार्यालय आदेश सं. 04 के तहत)
4. संविदा की सामान्य शर्तें और कार्य संविदाओं से संबंधित संबद्ध मामले.
 - i. संविदा नीति और संविदा से संबंधित मामले और उनके प्रबंधन/कार्यान्वयन/स्पष्टीकरण
 - ii. इंजीनियरी संहिता
 - iii. संविदा की सामान्य शर्तें
 - iv. मध्यस्थता अधिकरण सहित मध्यस्थता नीति और इससे संबंधित मामले
 - v. सिविल इंजीनियरी से संबंधित ठेकेदारों को वर्ज्य सूची में रखना, निलंबन करना या हटाना
 - vi. फॉर्मों का मानकीकरण-इंजीनियरी श्रेणी
5. सेमिनार/सम्मेलन और प्रशिक्षण आदि से संबंधित सभी मामले.
 - i) सिविल इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान
 - ii) जन शक्ति नियोजन और मानव संसाधन विकास
 - iii) भारतीय रेल सिगनल इंजीनियर (आईआरएसई) परिवीक्षाधीन

6. निर्माण-कार्य नियमावली से संबंधित सभी मामलें।
 7. निर्माण कार्यक्रम - भारतीय रेल के लिए नोडल अधिकारी: क्षेत्रीय रेलवे, उत्पादन इकाइयों आदि और रेलवे बोर्ड में सभी निदेशालय के साथ समन्वय, बैठकें और बजट दस्तावेजों को अंतिम रूप देना।
 8. निर्माण कार्यक्रम की सुलभ प्रक्रिया और 'आईआरपीएसएम (भारतीय रेल परियोजना स्वीकृति एवं प्रबंधन) के वेब-आधारित सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्वीकृत कार्यों का प्रबंधन/निगरानी।
 9. 'निर्माण और सामग्री' और 'पी.वे मदों' के लिए भारतीय रेल 'मानक दरों का एकीकृत मानक कार्यक्रम' और 'मानक विशिष्टियां': संरचना, मानकीकरण, अनुमोदन और अनुवर्तन।
 10. निरीक्षण नियमावली, अनुदेशों का संकलन।
 11. सिविल इंजीनियरिंग विभाग के राजपत्रित और अराजपत्रित संवर्गों के संबंध में स्थापना निदेशालय के साथ समन्वय।
 12. केंद्रीय सलाहकार संविदा श्रमिक बोर्ड की बैठक।
 13. नागरिक रक्षा और संबंधित मामले।
 14. विविध कार्य।
 15. रेल संरक्षा आयोग की प्रशासनिक सुविधा जिसमें कार्यालय रखरखाव आदि शामिल हैं (2018 के कार्यालय आदेश संख्या 37 के तहत जोड़ा गया।)
- नोट:- मद 3(v) को एलएमएल-1 को स्थानांतरित किया गया और मद 3(vi) को हटा दिया गया है।

सिविल इंजीनियरी-II

1. रेलपथ नवीकरण कार्य - नीति संबंधी मामले तथा सार/संशोधित प्राक्कलनों की स्वीकृति तथा रिपोर्टों का समापन।
2. बिना बारी के किए गए रेलपथ नवीकरण कार्यों आदि की समीक्षा।
3. 50 लाख रुपए तथा उससे अधिक लागत वाले प्रत्येक नए रेलपथ नवीकरण प्रस्तावों की समीक्षा और रेलवे के अनंतिम निर्माण कार्यक्रम/अंतिम निर्माण कार्यक्रम में शामिल करने हेतु इसके लिए बोर्ड का अनुमोदन संसूचित करना। रेल मंत्री के अनुमोदन हेतु 50 लाख रुपए तथा उससे अधिक लागत के सभी नए रेलपथ नवीकरण कार्यों के लिए समेकित ज्ञापन तैयार करना।
4. रेलपथ के संबंध में रेल दुर्घटना समिति की सिफारिशें।
5. रेलपथ में खराबी के कारण दुर्घटनाओं पर मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त/रेल संरक्षा आयुक्त की सिफारिशें।
6. रेलपथ से संबंधित उच्च गति की गाड़ियों के चालन से संबंधित नीति मामले।
7. प्रधान मुख्य इंजीनियर सम्मेलन; रेलपथ सामग्री की आवश्यकताओं के मूल्यांकन के लिए मुख्य रेलपथ इंजीनियरों/मुख्य इंजीनियरों की बैठक आयोजित करने के लिए सूचना का समन्वय करना।
8. गति प्रतिबंध की प्रगति से संबंधित नीतिगत निर्णय।
9. रेलपथ नवीकरण तथा गति प्रतिबंधों और रेलपथ में गिट्टी डालने से संबंधित मदों के संबंध में रेलवे बोर्ड की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के लिए पैरा तैयार करना।
10. रेलपथ मानक समिति की रिपोर्टों/सिफारिशों पर बोर्ड के आदेश प्राप्त करना और संवीक्षा करना।
11. रेलपथ के कारण घटने वाली दुर्घटनाएं - रेलपथ के कारण घटने वाली दुर्घटनाओं का प्रत्येक माह दुर्घटना विवरण तैयार करना।
12. गिट्टी डालने संबंधी नीति तथा विशिष्टियां, गिट्टी डालने की प्रगति और गहन छनाई, मृदा संरचना तथा गिट्टियों को इकट्ठा करने और उन्हें पंक्तिबद्ध लगाने से संबंधित विवरणियां।
13. चौकीदारों को औजारों की सप्लाई।
14. रेलपथ संरचना - योजना शीर्ष 31 के अंतर्गत सभी तकनीकी मामले और प्रस्ताव।
15. गिट्टी रहित रेलपथ - तकनीकी मामलों को छोड़कर योजना शीर्ष 31 के अंतर्गत आने वाले सभी प्रस्ताव।
16. इंटरनैशनल हैवी हॉल एसोसिएशन (आईएचएचए) के साथ कार्रवाई करने के लिए नोडल निदेशालय।
17. 130 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक तथा 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक की गति पर चलने वाली रेलगाड़ियों से संबंधित मामले।
18. रेलपथ और स्टेशन क्षेत्र से बाहर सटी हुई भूमि (दूरस्थ प्लैटफार्म के अंत से 50 मीटर) से नियमित रूप से कचरा उठाना (2019 का कार्यालय आदेश सं. 36)
19. सेमी-हाई स्पीड गलियारों के निष्पादन से संबंधित मामले; नई दिल्ली-मुंबई और नई दिल्ली-हावड़ा। (2019 का कार्यालय आदेश सं. 66)

20. उपरोक्त, रेलपथों पर कार्य करने के दौरान रेल कर्मियों की मृत्यु, गति प्रतिबंध, रेलपथों और मालडिब्बों का अनुमेय धुरा भार, रेलगाड़ियों की अनुमेय परिचालन गति संबंधी संसदीय प्रश्न ।
21. सिविल इंजीनियरी निदेशालय को आईटी सक्षम बनाने संबंधी बोर्ड स्तर पर इंटरफेस।
(2019 के कार्यालय आदेश सं. 89 के तहत)
22. संरक्षा और अन्य इंजीनियरी उपकरण : (2025 के कार्यालय आदेश सं. 04 के तहत संशोधित)
- i) ट्रैकमैन सुविधाओं से संबंधित मामले।
 - ii) गैंगमैन सुविधाओं से संबंधित मामले।
 - iii) ट्रैकमैन की कार्य स्थितियां।
